

25/6/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।  
पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 13/8/24  
को पेश हो। दि

13.08.24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।  
आश्रयित पीठासीन अधिकारी के स्थान पर  
अन्य पीठासीन अधिकारी कार्यवाहक पदस्थापित  
हैं। इस पत्रावली को आगे चलाने जाने  
का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थनापत्र  
स्थानान्तरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता  
है। पत्रावली फौजदारी सुभार होकर नम्बर के  
कम है।



**कमल चौधरी**  
जिला कलक्टर, सीकर